न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—03/2021 (2021/26) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मानसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गार्धनसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्रभुसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—अशोकसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—दिलीपसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रणजीतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सत्यनारायणसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—कंकुकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—गीताकंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—जोधसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—बंशीसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—भूरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—रेवत पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—छोगा पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—देवा पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मांगु पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—18.10.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जलामली पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 532 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 545 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 546 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 547 रकबा 0.39 है0, भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 90 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन वर्षो से पैदल संज बैल ट्रेक्टर आदि से विपक्षीगण की आराजी संख्या 602 रकबा 0.60 है0 भूमि की दक्षिणी पाली पर होकर सदैव से करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता विपक्षीगण की भूमि डोटेड लाईन से अकिंत है तथा 0.08 है0 रकबा उनके खातेदारी में रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमियों में आवागमन करने का एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की भूमि में ही है जो बि[illegible] रास्ता संख्या 601 से लगता हुआ है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण [illegible] की आत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने [illegible] कई बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये और रास्ते की भूमि में आये दिन बाधा उत्पन्न करने लग गये शामलाती [illegible] आने जाने से भी मना करने लग गये। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 602 की दक्षिणी पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलाया जाकर उसे राजस्व रेकार्ड में गे.मु. रास्ता दर्ज कराने हेतु नियमानुसार डीएलसी दर का भुगतान कर रेकार्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम जारी फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता उपस्थित जावाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 5 फौरमल पक्षकार है जिन्होने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि उक्त आराजी संख्या 602 पर वर्तमान में कोई रास्ता नही है। मौके पर प्रार्थीगणो का आवागमन वर्तमान में आराजी संख्या 602 पर नही किया जा रहा है तथा आराजी संख्या 507, 524, 525, 529, 530 की दक्षिणी मेड़ से पैदल आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगणो द्वारा आराजी संख्या 602 की दक्षिणी पश्चिम मेड़ के सहार– सहारे रास्ता चाहा गया परन्तु उक्त रास्ते वाली जगह पर बड़ी चट्टाने होने से मौके पर रास्ता नही निकल सकता है जिससे प्रार्थीगणो व विपक्षीगणो ने सहमति जाहिर कि विपक्षीगणो की आराजी संख्या 602 के साथ लगती हुई आराजी संख्या 548 रकबा 0.61 है0 भूमि है जिसकी उत्तरी दिशा में 5 मीटर चौड़ा रास्ता देने की सहमति जाहिर की गई जिसको नक्शे में लाल स्याही से अकिंत किया गया जिसका क्षैत्रफल 300 वर्गमीटर भूमि बनती है जो रास्ते के उपयोग में आयेगी। उक्त रास्ते की प्रस्तावित भूमि के अलावा और कोई रास्ता नही है। उक्त प्रस्तावित रास्ता आराजी संख्या 539 की उत्तरी पूर्वी कोने तक पहुँचेगा वहां से प्रार्थीगणो के निकट रिश्तेदार भाईयो की आराजी संख्या 539, 542, 543 से होकर आराजी संख्या 547 पर पहुँचेगा वहां से प्रार्थीगणो की आराजी होकर प्रार्थीगण वही जाना चाहता है। उक्त प्रस्तावित आराजी संख्या 548 रकबा 0.61 है0 मे से 0.03 है0 भूमि रेकार्ड में छोगा, देवा, मांगु रेवत पिता बगतावर हंजा पत्नि बगतावर गुजर के नाम से दर्ज रेकार्ड है हंजा बेवा बगतावर की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम बागड़ की डीएलसी दर संचित दुर की 69080 रूपये प्रति बीघा होने से 0.03 है0 भूमि की राशि 9595 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 19190 रूपये की भुगतान किया जाना है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उस जगह बड़ी बड़ी चट्टाने होने से रास्ता नही दिया जा सकता है और दोनो पक्षो की सहमति पर आराजी संख्या 548 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई में रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रास्ते सहमत होने से इसी अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 532 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 545 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 546 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 547 रकबा 0.39 है0, भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि में आवागमन हेतु आपसी सहमति के अनुसार विपक्षी की आराजी संख्या 548 रकबा 0.61 है0 मे से 0.03 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित होने से जिसकी डीएलसी दर 69080 रूपये प्रति बीघा की दर से 9595 रूपये होते है जिसकी दुगुनी 19190 रूपये मुआवजा राशि होती है। उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:25 IST
Reason: SelfAttested

18.10.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—03/2021 (2021/26) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मानसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गार्धनसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्रभुसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—अशोकसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—दिलीपसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—रणजीतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—सत्यनारायणसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—कंकुकंवर पुत्री भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—गीताकंवर पत्नि भंवरसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—जोधसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—बंशीसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—भूरसिंह पिता सोहनसिंह राजपूत निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—रेवत पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—छोगा पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—देवा पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मांगु पिता बगतावर गुर्जर निवासी झलामली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 532 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 545 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 546 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 547 रकबा 0.39 है0, भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि में आवागमन हेतु आपसी सहमति के अनुसार विपक्षी की आराजी संख्या 548 रकबा 0.61 है0 मे से 0.03 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित होने से जिसकी डीएलसी दर 69080 रूपये प्रति बीघा की दर से 9595 रूपये होते है जिसकी दुगुनी 19190 रूपये मुआवजा राशि होती है। उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:13:25 IST
Reason: SelfAttested

18.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)